



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-614

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309183 दिनांक 29/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Gaurav Mittal C/o SEEMA RANI MITTAL	श्री मेघराम मीना पुत्र श्री जयलाल मीना	50	202.22 SQ. YARD	Cooperative	VISHVAVID YALAYA NAGAR	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री गौरव मित्तल पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश मित्तल द्वारा महाराना प्रताप गृ.नि.स.स. की योजना विश्वविद्यालय नगर के भूखण्ड संख्या 50 क्षेत्रफल 202.22 व.ग. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 50 क्षेत्रफल 202.22 व.ग. की लीजडीड दिनांक 14.03.2012 को श्री मेघराम मीना पुत्र श्री जयलाल मीना के पक्ष में ही जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 50 क्षेत्रफल 202.22 व.ग. को श्री मेघराम मीना पुत्र श्री जयलाल मीना द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्र दिनांक
25.02.2022 को
श्री ललित वशिष्ठ
पुत्र श्री रमाकांत
वशिष्ठ को बेचान
किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या 50
क्षेत्रफल 202.22
व.ग. को श्री
ललित वशिष्ठ पुत्र
श्री रमाकांत
वशिष्ठ द्वारा
जरिये पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
23.06.2026 को
श्री गौरव मित्तल
पुत्र श्री जान
प्रकाश मित्तल को
बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gaurav Mittal C/o SEEMA RANI MITTAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |